न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 74 / 2017

RCMS No. 2017/00321

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थीगण:—
1 विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत दुदनी 2. किशनराम पुत्र सांवताराम के का0मु0 2.1 शंकरलाल पुत्र किशनाराम 2.2 जगदीश कुमार पुत्र किशनाराम 2.3 भंवरलाल पुत्र कन्हैयालाल 2.4 सायरी देवी पत्नी मोहनलाल 2.5 मदनसिंह पुत्र मोहनलाल 2.6 रमेशसिंह पुत्र मोहनलाल 2.7 जितेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल 2.8 रेणू पुत्री मोहनलाल जातिगण गुर्जर निवासीगण मोरी स्टेशन, तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

पंचायत प्रसार अधिकारी, प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक:— 31/12/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, दूदनी द्वारा मिसल संख्या 02 / 1956, संकल्प संख्या 35 दिनांक 17.12.1961 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 21. 01.1962 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है, अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनन गलत है। उक्त रास्ते से आमजन का आवागमन होता है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा खरंजा भी निर्माण किया है। अब उक्त पट्टे की आड में अप्रार्थीगण द्वारा आम रास्ते को अवरूद्ध कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अतः जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है,

अति० जिला कलक्टर, पाली

वह रास्ते की भूमि में जारी होने के कारण खारिज़ योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, दूदनी द्वारा मिसल संख्या 02/1956, संकल्प संख्या 35 दिनांक 17.12.1961 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 21.01.1962 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टासुदा भूमि का पुनः पट्टा बनाने का निवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नक्शा मौका कायम किया जाकर बिना पंचों से मौका निरीक्षण करवाए, सीधे आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया एवं निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण गवाह के तौर पर स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 के बयान कलमबद्ध करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा जो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसमें जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी हुआ है, वह रास्ते की भूमि में जारी होना जाहिर किया तथा यह भी जाहिर किया कि उक्त पट्टे के आधार पर किए जा रहे निर्माण से आमजन का आवागमन बाधित हुआ है। वस्तुतः प्रथम तो स्वयं आवेदक द्वारा उक्त भूमि का पूर्व में पट्टा जारी होना बताया, जिस पर दुबार पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। द्वितीय पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा पारित करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें भी राजस्थान पंचायत नियम 1953 के नियम 258, 259 का उल्लंघन किया है, इसके अतिरिक्त भूमि उक्त भूमि रास्ते की होना पाया जाता है, जो नियम 255 से 270 की परिधी में सम्मिलित नहीं थी। इस कारण पंचायत द्वारा प्रकरण हाजा में प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में जा आज्ञा पारित की गई एवं उक्त आज्ञा की पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि विरूद्ध है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, दूदनी द्वारा मिसल संख्या 02/1956, संकल्प संख्या 35 दिनांक 17.12.1961 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 21.01.1962 को खारिज़ किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली